

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2501
गुरुवार, दिनांक 05 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने हेतु

छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन

2501. श्री तालारी रंगैय्या:

कुमारी राम्या हरिदास: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अपने घरों की छत पर सौर उपकरण स्थापित करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इसके परिणामस्वरूप केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी ऊर्जा का उत्पादन होने की संभावना है;
- (ख) क्या आवासीय छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा किसी राजसहायता की घोषणा की गई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आज की तिथि तक सब्सिडी प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर.के. सिंह)

- (क) से (घ): ग्रिड संबद्ध रूफटॉप (जीसीआरटी) सौर कार्यक्रम के चरण-II के तहत 3 किलोवाट तक की आवासीय ग्रिड संबद्ध प्रणालियों के लिए बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 40 प्रतिशत और 3 किलोवाट से अधिक तथा 10 किलोवाट तक की क्षमता की आवासीय ग्रिड संबद्ध रूफटॉप प्रणाली के लिए बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, की 20 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 10 किलोवाट से अधिक की आवासीय जीसीआरटी प्रणालियों के लिए सीएफए 10 किलोवाट तक की प्रणालियों के अनुसार ही प्रदान की जाती है। जीसीआरटी कार्यक्रम के चरण-II के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/आवासीय कल्याण समितियों के लिए साझा सुविधाओं के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, का 20 प्रतिशत सीएफए भी दिया जाता है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के स्पिन पोर्टल पर प्राप्त डाटा के अनुसार दिनांक 02 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 79,950 आवासीय उपभोक्ताओं ने एमएनआरई से केन्द्रीय वित्तीय सहायता का लाभ उठाते हुए लगभग 322 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर की स्थापना की है। इस धारणा के साथ कि 1 मेगावाट रूफटॉप सौर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 1.5 मिलियन यूनिट का उत्पादन करता है, अनुमान है कि लगभग 483 मिलियन यूनिट बिजली इन जीसीआरटी प्रणालियों से प्रतिवर्ष उत्पादित हो रही है। दिनांक 02 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार सब्सिडी वाली परियोजनाओं की संख्या और कुल स्थापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.03.2020 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2501 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सहायक प्रतिष्ठानों की संख्या	02.03.2020 को आवासीय क्षेत्र में सविसडी क्षमता (मेगावाट)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	1066	4.41
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0.01
4	असम	127	0.75
5	बिहार	114	0.59
6	चंडीगढ़	1225	5.29
7	छत्तीसगढ़	3	0.03
8	दादरा और नगर हवेली	0	0.00
9	दमन और दीव	0	0.00
10	गोवा	0	0.00
11	गुजरात	50,915	177.67
12	हरियाणा	2675	16.11
13	हिमाचल प्रदेश	1297	6.06
14	जम्मू और कश्मीर	99	0.40
15	झारखंड	42	0.21
16	कर्नाटक	10	0.06
17	केरल	2369	9.33
18	लक्षद्वीप	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	246	1.01
20	महाराष्ट्र	5531	30.66
21	मणिपुर	431	1.96
22	मेघालय	0	0.00
23	मिजोरम	265	0.91
24	नागालैंड	0	0.00
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	257	2.96
26	ओडिशा	55	0.27
27	पुडुचेरी	25	0.09
28	पंजाब	1270	7.31
29	राजस्थान	2272	15.58
30	सिक्किम	0	0.00
31	तमिलनाडु	4345	9.42
32	तेलंगाना	1621	7.83
33	त्रिपुरा	0	0.00
34	उत्तर प्रदेश	1356	7.38
35	उत्तराखंड	2332	15.60
36	पश्चिम बंगाल	1	0.02
कुल		79,950	322